

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1937 /2019 दिनांक 30.09.2019

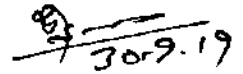
श्री सतीश कुमार (RJ0187), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम 01, उदयपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

1. दिनांक 12.07.2019 से 16.07.2019 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 17.07.2019 से 26.07.2019 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 27.07.2019 से 28.07.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री सतीश कुमार की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम 02, उदयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम 01, उदयपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

 30.9.19

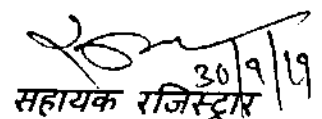
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/27/2013/9225

दिनांक 30.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम 01, उदयपुर को उनके पत्रांक 40 दिनांक 13.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सतीश कुमार (RJ0187), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम 01, उदयपुर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम 02, उदयपुर ।

 30/9/19
सहायक रजिस्ट्रार